

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की दिनांक 2.11.2001 को सम्पन्न हुई 181वीं

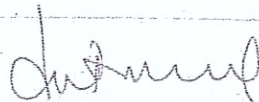
बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 2.11.2001 को बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

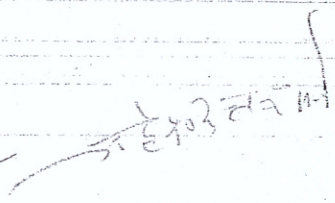
- | | | |
|----|---|---------|
| 1- | श्री महेश दत्त शर्मा, अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद | अध्यक्ष |
| 2- | श्री वी०एन० गार्ग, आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| 3- | श्री टी०पी० पाठक, विशेष सचिव, आवास
प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास उ०प्र० शासन | सदस्य |
| 4- | जी०बी० पटनायक, सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग
उत्तर प्रदेश शासन | सदस्य |
| 5- | श्रीमती स्मिता चौधरी, विशेष सचिव, वित्त
प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त उ०प्र० शासन | सदस्य |
| 6- | श्री वी०के० गुप्ता, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक | सदस्य |
| 7- | श्री विनोद कुमार, वैज्ञानिक
प्रतिनिधि, निदेशक, सी०बी०आर०आई० रुड़की | सदस्य |
| 8- | श्री एस०एम०ए० बुखारी, मुख्य अभियन्ता
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| 9- | श्री एस०के० द्विवेदी, अपर आवास आयुक्त | सचिव |

विशेष आमंत्रित के रूप में

- | | | |
|----|--|-------|
| 1- | श्री सुबोश शंकर, मुख्य वास्तुविद नियोजक
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| 2- | श्री कृष्णाकर त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| 3- | श्री एस०पी० अग्रवाल, विधि परामर्शदाता
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |







बैठक में विचार-निर्णय के उपरांत सर्व सत्यता से निम्नपत्र निर्णय लिये गये :-

मद सं०	विषय	निर्णय
1	2	3
1-	परिषद की १८०वीं बैठक दिनांक १६.६.२००१ के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	पुष्टि की गयी ।
2-	परिषद की १८०वीं बैठक दिनांक १६.६.२००१ की अनुपालन आख्या ।	अनुमोदित ।
3-	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची ।	अनुमोदित ।
4-	परिषद की मझोला आवासीय योजना मुरादाबाद की बाढ़ से सुरक्षा हेतु सिंचाई विभाग द्वारा गागन नदी पर बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में ।	परिषद द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण को राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ संदर्भित किया जाये कि यह दायित्व शासन (सिंचाई विभाग) का है। यदि परिषद से सहायता होनी हो तो एक निश्चित सीमा तक की धनराशि स्वीकृति की जा सकती है। एक निश्चित समयावधि (तीन माह का समय) देकर मझोला आवासीय योजना भाग-२ के प्रस्ताव निर्णय हेतु परिषद की की बैठक में रखा जाये ।
5-	परिषद की कबीर नगर योजना वाराणसी स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-३/१६ के विरुद्ध लगाये गये अतिरिक्त दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	भवन के विरुद्ध देय कुल धनराशि को एक मुश्त भुगतान की स्थिति में अतिरिक्त दण्ड ब्याज रु०२५,६२८.६० माफ कर दिया जाये । शेष के सम्बन्ध में आवास आयुक्त को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया ।
6-	परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-१७ स्थित आनन्द एकेडमी शिक्षण संस्था को आवंटित स्कूल	परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि मूल आवंटन के स्थान (इन्दिरा नगर, लखनऊ) पर विद्यालय भवन का

न. अमिल

10 /

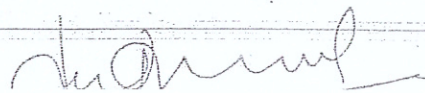
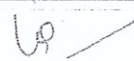
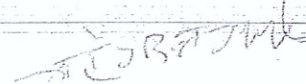
देवेंद्र प्रसाद

1	2	3
	भूखण्ड के स्थान पर परिवर्तन के फलस्वरूप विकास नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-१४ में ४२६.००५ वर्गमीटर स्कूल भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में ।	निर्माण आगारा विकास परिषद के सहयोग से कराया जाये ।
7- ५	श्री लेखराज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पक्ष में इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में प्रदिष्ट दु० आ० वर्ग भवन संख्या ए-१४३७/४ के विरुद्ध देय व्याज को माफ किये जाने का प्रकरण ।	परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वसूली १०-१५ वर्षों के आसान किस्तों में पुर्ननिर्धारण कर दिया जाये। अतिरिक्त ब्याज माफ कर दिया जाये ।
8- ५	कुलानन्द फाउण्डेशन चेरिटेबिल सोसाइटी को योग प्रशिक्षण केन्द्र हेतु इन्दिरा नगर लखनऊ के सेक्टर-२५ में भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में ।	परिषद द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया कि संस्था से परिवर्तन शुल्क न लिया जाय, किन्तु परिवर्तन के फलस्वरूप संस्था को आवंटित की जाने वाली सम्पत्ति का फुलरेट चार्ज (आवासीय दर का १५० प्रतिशत) चार्ज किया जाये ।
9- ५	केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का न्यूनतम दरों पर आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में ।	स्वीकृत ।
10- ५	मेजर महेश चन्द्र, शौर्य चक्र विजेता को वृन्दावन योजना में एक भूखण्ड आधे मूल्य पर दिये जाने के सम्बन्ध में ।	स्वीकृत ।
11- ५	परिषद अधिकारियों/ कर्मचारियों पर तत्काल योजना के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्तियों के विरुद्ध देय तत्काल शुल्क के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्थगित किया गया कि यह देख लिया जाये कि इस प्रकरण से कितने अन्य वर्गों के लोग प्रभावित होंगे और उनका

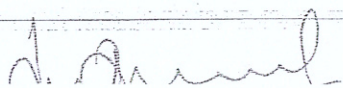
1	2	3
		पिस्तीय प्रभाव क्या होगा । प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अतः अन्तिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही लिया जाये ।
12-	भवन परिवर्तन शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में ।	स्वीकृत ।
13-	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में विस्थापितों को आवंटित भूखण्डों के सम्बन्ध में ।	विकल्प एक में आरोपित ब्याज इस प्रतिबन्ध के साथ माफ कर दिया जाये कि अवशेष सम्पूर्ण धनराशि ३ माह के अन्दर जमा कर दिया जाये अन्यथा भूखण्ड के मूल्य के विरुद्ध जमा समस्त धनराशि (पंजीकरण धनराशि छोड़कर) बिना किसी कटौती के वापस कर दिया जाये व पंजीकरण बनाये रखा जाय ।
14-	परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ के सेक्टर-६ में दयानन्द शिशु शिक्षा मन्दिर स्कूल समिति को आवंटित भूमि दर के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
15-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर-१७ में स्थित स्वर्ण जयन्ती मार्केट में विकलांग व्यक्तियों को छोटे व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में ।	परिषद द्वारा आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा आवास आयुक्त को इस प्रकार के प्रकरणों में नीलामी की प्रक्रिया से मुक्त करते हुए आवंटन करने हेतु अधिकृत किया गया ।
16-	स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परिषद की विकास नगर योजना, लखनऊ में आवंटित दुर्बल आयवर्ग भवन सं० ३/३०६ के विरुद्ध देयधनराशि की ५० प्रतिशत	स्वीकृत । साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशि का १०० % अथवा रु० ५० हजार की सीमा तक जो भी कम हो, को

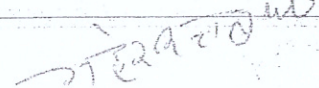
1	2	3
	धनराशि माफ किये जाने का प्रकरण।	भविष्य में माफ किये जाने हेतु नीति बनाई जाये।
17-	राजाजीपुरम योजना, लखनऊ में दुकान संख्या एस-२४१ के विरुद्ध दण्ड ब्याज माफी के सम्बन्ध में।	स्वीकृत।
18-	परिषद की यू०पी०आई०एल० ऐशबाग योजना लखनऊ में सिटी मान्टेसरी स्कूल को प्राइमरी विद्यालय के लिये भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया कि चूँकि सामान्य प्रक्रिया से हटकर सीधा आवंटन किया जा रहा है। अतः आवासीय दर पर भुगतान लिया जाय और विद्यालय हेतु कोई छूट न दी जाये।
19-	विकास नगर योजना, लखनऊ में स्वयं वित्त पोषित योजना ६४-ए के अन्तर्गत श्रीमती करुणा माथुर को भवन निरस्तीकरण के उपरान्त धनराशि वापसी के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
20-	राजाजीपुरम योजना, लखनऊ में श्री नरेन्द्र सिंह राणा को उच्च आय वर्ग भवन संख्या सी-१८६७ के आवंटन के सम्बन्ध में।	श्री राणा को उनको पूर्व में आवंटित भवन के पास का एक भवन आवंटित किया जाये। दूसरा भवन नीलामी के द्वारा निस्तारित किया जाय और श्री राणा को प्रस्तावित भवन आरक्षित मूल्य या नीलामी के मूल्य में जो अधिक होगा उसी मूल्य पर देय होगा।
21-	राजाजीपुरम योजना, लखनऊ में आवंटित भूखण्ड संख्या- १३/७०३६ की भूमि पर माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या १२०६ एम०बी०/ १६६६ में पारित आदेश दिनांक १३.५.६६ के अनुपालन में वृन्दावन योजना में भूखण्ड परिवर्तन।	अनुमोदित।

1	2	3
22-	परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी०पी०-२२/१०१ के आवंटन के सम्बन्ध में श्री अजीत कुमार सिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक १२.१०.२००१	स्वीकृत ।
23-	राजाजीपुरम योजना लखनऊ में श्री बाबू राम यादव को नीलामी द्वारा प्रदिष्ट व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-७/२०८ के बदले व्यावसायिक भूखण्ड संख्या ६ सी०पी०-२, ६ सी०पी०-३ एवं ६ सी०पी०-४ से परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।	स्वीकृत ।
24-	परिषद की इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ में स्थित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या १२ सी०पी०-१०५ आवासीय भूखण्ड में परिवर्तन के फलस्वरूप आवंटन के सम्बन्ध में ।	चूँकि तत्काल योजना के द्वारा आवंटन स्थगित है अतः सुरक्षा की दृष्टि से माननीय न्यायमूर्ति के प्रश्नगत सम्पत्ति को चिन्हित करते हुए माननीय न्यायालय से रथगन निरस्त होने की प्रतीक्षा की जाय। तदोपरांत निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये ।
25-	परिषद की कबीर नगर योजना, वाराणसी में भूखण्ड संख्या ६३, ६४, ६५ एवं ६६ के विरुद्ध दण्ड ब्याज, विलम्ब शुल्क एवं पुनर्जीवन शुल्क माफ किये जाने के सम्बन्ध में ।	परिषद द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि प्रश्नगत सम्पत्ति बिल्कुल किनारे की है अतः पुनर्जीवन शुल्क ले विशेष परिस्थितियों में दण्ड ब्याज व विलम्ब शुल्क माफ करदिया जाये ।
26-	पंजीकरण अन्तर धनराशि जमा करने की अनुमति एवं एक योजना से दूसरी योजना में पंजीकरण परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	स्वीकृत ।
27-	चिकित्सा अग्रिम की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु कार्योत्तर संस्तुति / स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।	परिषद द्वारा संस्तुति सहित शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया ।

1	2	3
28- ९	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	परिषद द्वारा संस्तुति सहित शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
29- ९	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु कार्योत्तर संस्तुति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	परिषद द्वारा संस्तुति सहित शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
30- १	विश्व पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में भाग लेने हेतु श्री गिरिवर शंकर तिवारी, आशुलिपिक को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	स्वीकृत।
31- १	वेतनमान ७५०-६४० में कार्यरत कर्मचारियों को १४ वर्ष की सेवा पर रु० १२००-२०४० का प्रोन्नति वेतनमानवैयक्तिक रूप से स्वीकृत किये जानेसम्बन्धी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की मांग के सम्बन्ध में।	प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
32- ९	सहायक लेखाधिकारी, लेखा संवर्ग एवं विधि निरीक्षक / सम्पत्ति निरीक्षक संवर्ग की सेवा विनियम के सम्बन्ध में।	परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि आवास विकास परिषद की सभी संवर्गों की सेवा विनियमावली के परीक्षण हेतु अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर लिया जाये जिसमें शासन के आवास विभाग का एक प्रतिनिधि अवश्य रखा जाय। समिति अपनी संस्तुति/आख्या आवास आयुक्त को प्रस्तुत करेगी। तदोपरान्त परीक्षणकर पुनः प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई।
33- ९	सहायक लेखाधिकारी के अतिरिक्त पद सृजन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पुनः परीक्षण कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।





1	2	3
34- ५	परिषद में सहायक निदेशक, उद्यान पद की प्रख्यापित सेवा विनियमावली में संशोधन के सम्बन्ध में ।	परिषद द्वारा प्रस्ताव इस संशोधन के स्वीकृत किया गया कि उद्यान निरीक्षक से सहायक निदेशक उद्यान के पद पर प्रोन्नति हेतु उद्यान निरीक्षक संवर्ग में ७ वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा सेवा में प्रोन्नति वरिष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए की जायेगी । तथा प्रोन्नति हेतु शैक्षिक योग्यता का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा । क्योंकि फ्रीडिंग कैडर की योग्यता इन्टरमीडिएट ही है । उद्यान निरीक्षक के पद पर शैक्षणिक योग्यता बी०एस०सी०(ए०जी०) रखी जाये ।
35- ५	श्री एस०पी० अग्रवाल, परामर्शदाता विधि के नियत वेतन के सम्बन्ध में ।	स्वीकृत ।
36- ५	शासनादेश दिनांक २० मार्च, ६१ से प्रख्यापित सरकारी ज्येष्ठता नियमावली-१९६१ के प्राविधानों को परिषद अधिष्ठान में अंगीकृत करने के सम्बन्ध में ।	स्वीकृत ।
37-	परिषद बैठकों में सदस्य के रूप में भाग लेने हेतु उत्तरांचल शासन के नगर विकास एवं अभियंत्रण शाखा के " सचिव " को " पद नाम " से नामित किया जाना ।	स्वीकृत ।
38-	कार्मिक अनुभाग-२ उ०प्र० शासन द्वारा जारी समूह -ग के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली-१९६८ को परिषद में लागू करने के सम्बन्ध में ।	परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि दैनिक वेतन नियुक्तियों के विनियमितीकरण नियमावली-१९६८ को परिषद में लागू किया जाय (यह नियमावली वर्कचार्ज एवं मस्टररोल कर्मियों पर लागू नहीं होगी) केवल लिपिकीय संवर्ग पर ही लागू

2. 11. 11

12

13

1	2	3
		होगी ।
39- 4	श्री बजरंगी राय, परामर्शदाता के नियत वेतन व भत्ते के सम्बन्ध में ।	स्वीकृत । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि श्री बजरंगी राय, परामर्शदाता की सेवाएं 30 जून-2002 तक के लिये बढ़ा दी जाये ।
40- 4	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद भवन निर्माण उपविधि-2000 में आवश्यक संशोधन का समावेश करते हुए शासन का प्रस्ताव अंगीकृत करने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव मुख्य वास्तुविद नियोजक द्वारा पुनः परीक्षण कर परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।
41- 4	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद भवन निर्माण उपविधि-2000 में आवश्यक परिष्कारों का समावेश करते हुए संशोधन का प्रस्ताव अंगीकृत करने के सम्बन्ध में ।	स्वीकृत ।
42- 4	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ स्थित खसरा संख्या-928, ग्राम इस्माईल गंज, क्षेत्रफल 9-93-90 बीघा भूमि पर गुप हाउसिंग अनुमत्य करने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि ले आउट स्वीकृत होने से पूर्व मा० न्यायालय में विचाराधीन वाद वापस ले लिया जाये ।
43- 4	अर्जनमुक्त / समायोजित खसरा संख्या 99, ग्राम इस्माईल गंज, मुंशी पुलिया चौराहा, इन्दिरा नगर, लखनऊ की भूमि के विक्रय के उपरांत भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया कि चूंकि फर्म का सृजन ही 39.5.2000 को हुआ है अतः 39.5.2000 को प्रचलित दरों पर भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क लिया जाये ।
44- 4	मूल्यांकन निदेशिका-9866 (संशोधित संस्करण-9862) के कुछ प्राविधानों में संशोधन तथा परिवर्धन किये जाने के सम्बन्ध में ।	यद्यपि परिषद कर्मियों को पूर्व में सम्पत्ति विक्रय पर 5 प्रतिशत की छूट देने का प्राविधान मूल्यांकन निदेशिका में नहीं था परन्तु परिषद कर्मियों को 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी। प्रस्तुत प्रस्ताव में 5 प्रतिशत छूट के स्थान पर सम्पत्तियों के

2 2 2 2 2

9

2 2 2 2 2

क्र.सं.	2	3
		विक्रय मूल्य पर १० प्रतिशत की छूट का जो प्रस्ताव रखा गया था, को परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। पूर्ववत् जो ५ प्रतिशत की छूट दी जा रही थी वह लागू रहेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रस्तर संख्या-५-२-४ पर संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए अन्य प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव को परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
45-	वर्ष १९६५-६६ की बैलेन्स शीट (पुनरीक्षित) के सम्बन्ध में परिषद के लिये व्याख्यात्मक टिप्पणी।	अनुमोदित।
46-	कुर्सी रोड योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम खुरमनगर खसरा संख्या-११८ व १२० की भूमि के सम्बन्ध में।	शासन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण आपन के अनुसार कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया।
47-	परिषद द्वारा गठित उप समिति की बैठक दिनांक २६.१०.२००१ के मद संख्या-१,२,३,४, ५,६,७ व ८ के सम्बन्ध में।	संदर्भित मदों उप समिति द्वारा पर लिये गये निर्णय परिशिष्ट-क के अनुसार अनुमोदित।
48-	कमला नगर (पूर्व घटवासन योजना) आगरा के खसरा संख्या- १२१० (भाग) १२१२ एवं १२४५ की भूमि के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
49-	परिषद की कालोनियों में आवंटियों से लिये जा रहे जल शुल्क/जल मूल्य के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
50-	अध्यक्ष (म०) की अनुमति से कोई अन्य विषय।	-

पुष्टि की गई

22.1.2002